24/2/25 पत्रावली मूल वाद के संलग्न पेश हुई। चुकि मूल वाद खारिज हो चुका है। अतः प्रा० पत्र अं० धारा 212 RTA लखवीर सिंह vs गुरलाल सिंह खारिज किया जाता है। पत्रावली के जाब्ता शुमार नं० से कम होकर मूल वाद के संलग्न दाखिल दफ्तर हो।

[signature]